न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 49/2018

प्रार्थी :—	बनाम	अप्रार्थी:—
सरकार जरिये तहसीलदार रोहट		बाबु पुत्र जवाहरराम, निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक : 26.02.2019

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/29 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/29 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन अप्रार्थी की माता पांकी पत्नी जवाहरदान के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.अ. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 21.01.1985 एवं 650 दिनांक 09.10.2009 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै. मु. नदी में से ख.न. 285/29 रकबा 15 बीघा किस्म बा.अ. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी, जिसका आवंटन अप्रार्थी बाबु की माता पांकी पत्नी जवाहरदान निवासी रामपुरा को

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

आवंटन कमेटी ने अपने आदेश के द्वारा किस्म परिवर्तन कर किया गया एवं उसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा पांकी पत्नी जवाहरदान को गैर खातेदार दर्ज किया गया, इसके पश्चात जरिये ना.स. 340 दिनांक 21.01.1985 को खातेदार दर्ज किया गया तथा पांकी पत्नी जवाहरदान की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र अप्रार्थी बाबु पुत्र जवाहरदान को जरिये नामान्तरकरण संख्या 650 दिनांक 09.10.2009 के द्वारा दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 650 मूल ही उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही में तहसीलदार ने अपने पत्रांक 7066 दिनांक 19.11.2009 के द्वारा भिजवाने बाबत पत्र की प्रति संलग्न प्रार्थन पत्र पेश की है। वक्त आवंटन/नियमन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन नदी दर्ज थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी की माता के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारीज योग्य है। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1539/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी के आवंटन ओदश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 340 दिनांक 21.01.1985 तथा 650 दिनांक 19..10.2009 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी बाबू की माता पांकी पत्नी जवाहरदान राव निवासी रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा जो आवंटन किया गया उक्त आदेश एवं उसकी पालना में द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 190 दिनांक 08.04.1975 एवं उसके पश्चातवर्ती ना.स. 340 दिनांक 21.01.1985 तथा 650 दिनांक 19..10.2009 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन कर बारानी अव्वल से पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज करने हेतु रेफरेन्स सादर प्रेषित है।

(दिनेश चन्द्र जैन)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)